

FORM NO. III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खैतड़ी
..... तुलसी देवी बनाम राजस्थान सरकार
किस्म मुकदमा 136 L.R. Act नं. 120 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	<p>04/10/2021 प्राथमि द्वारा प्रस्तुत शर्मा पत्र माप प्रशासन गोपों के संग अभियान -2021 के तहत ग्राम पंचायत जलरापुर में आयोजित कैंप में पेश हुई। प्राथमि द्वारा चाहे गये अनुसंध के संबंध में मजमे मामले में शहनाह की गई। सरपंच ग्राम पंचायत जलरापुर ने प्राथमि का सही नाम तुलसी देवी होना तस्वीर और राक्षस रिकार्ड में प्राथमि का नाम तुलसी देवी वसन्तलाप के स्थान पर तुलसी देवी पुत्री वसन्तलाप डुरस्त किया जाता सही स्पष्ट न्यायसंगत होना चाहिए किया। फ्लायली पर उपलब्ध दस्तावेजी सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्राथमि का शर्मा पत्र स्वीकार कर ग्राम जलरापुर स्थित ग्राम जमावन्दी सम्वत् 2073-76 के खाल संख्या 634 में प्राथमि का नाम तुलसी पुत्री वसन्तलाप के स्थान पर तुलसी देवी पुत्री वसन्तलाप डुरस्त किया जाने का आदेश दिया जात है। निर्णय मजमे मामले में सुनाया गया। फ्लायली फलत सुमा व दर्ज नम्बर ले कर छेडा दाखिल दफ्तर है।</p>	<p>मन्जु सरपंच ग्राम पंचायत जलरापुर पं.स.-खैतड़ी, (खुन्सुन) राज</p>

उपखण्ड अधिकारी. खैतड़ी

